न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय्–सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।
कल्याणपुर थाना काण्ड सं0 274/20, **कम्पयूटर निबंधन सं0 1147/20**

9.8.21 आवेदक **1.राजकुमार साह, पिता–रामचन्द्र साह, ग्राम–भुट्टा चौक, थाना–कल्याणपुर, जिला–समस्तीपुर,** जो कल्याणपुर थाना काण्ड सं0 274/20, धारा–30(a), 41(i)(ii) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 7.7.21 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सिकन्दर कुमार के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उनके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उनके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब,घटनास्थल वाले बगीचा एवं जप्त वाहन से उनका कोई संबंध नही है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उनके विरूद्व नही बनती है। उनके विरूद्व पूर्व से उत्पाद से संबंधित एक वाद लम्बित है। वह दिनांक 7.7.21 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री रामलखन राय के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया, कि आवेदक विदेशी शराब का कारोबारी है जिसका आपराधिक इतिहास है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्व धारा–30(a), 41(i)(ii) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक को गुप्त सूचना मिली, कि धर्मेन्द्र कुमार राय एवं राजकुमार साह(आवेदक अभियुक्त)दोनो मिलकर ग्राम–मुक्तापुर भुईया स्थान गाछी में अंग्रेजी शराब का भारी खेप उतार रहा है तथा खरीद–बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर सूचक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर छापामारी किया तो पुलिस को देखकर दो व्यक्ति भागने में सफल रहे जिनकी पहचान महाल चौकीदार एवं स्थानीय चौकीदार के द्वारा आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के रूप मे की गयी। सूचक द्वारा तलाशी के क्रम में घटनास्थल पर से कुल 2160 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। अभियुक्त विदेशी शराब का कारोबारी है जिसके विरूद्व पूर्व से उत्पाद से संबंधित वाद लम्बित है। वाद अनुसंधान की अवस्था में है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की गम्भीरता, आपराधिक इतिहास तथा बरामद शराब की भारी मात्रा को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नही समझता है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

वि0न्या0उत्पाद